CNR NO–UPAU010000942020

[ACTION PLAN]

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया।

पीठासीन अधिकारी– श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा

विशेष सत्र विचारण संख्या–04पी/2020

नवीन कम्प्यूटरीकृत विशेष सत्र वाद संख्या–18/2020

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

प्रति

शिव सिंह पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम शाला मन्दिर, मौजा मधूपुर, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया, उ0प्र0।

................अभियुक्त............।

मुकदमा अपराध संख्या 713 सन् 2019
धारा–363, 366, 376 भा0दं0सं0
व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम
थाना–औरैया जनपद–औरैया।

निर्णय

01. प्रस्तुत विशेष सत्र वाद संख्या–18/2020, मुकदमा अपराध संख्या 713/2019 में पुलिस थाना औरैया, जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त शिव सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 में विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमर सिंह द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली औरैया को इस आशय की तहरीर दी है कि प्रार्थी अमर सिंह पुत्र स्व० सुखई दोहरे निवासी ग्राम शाला मन्दिर मौजा मधूपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया का है। दिनांक 16.09.2019 को सुबह 10 बजे करीब उसकी पत्नी फूलश्री,उसकी बेटी/पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष को बुखार होने के कारण दवा दिलाने के लिए करियापुर के डाक्टर फफूँद रोड के यहाँ गयी थी, दवा लेकर वापिस आते समय ग्राम शाला मन्दिर के बाहर नहर के पास उसकी पत्नी ने पीड़िता को घर के लिए भेज दिया और खुद चारा लेने के लिए खेतों पर चली गयी, जब चारा लेकर उसकी पत्नी घर पहुँची तो उसने उससे सोनी के बारे में पूछा तो उसने उसने बताया कि उसने तो दवा दिलवा कर उसे घर भेज दिया था, साहब उसकी बेटी दवा लेकर घर नहीं आयी, उसे शक है

Digitally signed by AKHILESWAR PRASAD MISHRA
Date: 2026.08.25 16:38:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि उसकी बेटी को शिव सिंह पुत्र गया प्रसाद उसके ही गाँव का बहला फुसलाकर करके कहीं ले गया है। चूंकि शिव सिंह के खिलाफ उसने छेड़खानी का मुकदमा लिखवाया था। उसे जानकारी मिली है कि उसकी बेटी को शिव सिंह के साथ मीरा देवी ने ही भगवाया है। सूचना को आया है, रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

03. प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा थाना औरैया, जिला औरैया में प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 713/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता में विपक्षीगण मीरा देवी व शिव सिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने मामले की विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिव सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, किन्तु विपक्षी मीरा देवी के विरूद्ध विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए उसका नाम विवेचना से पृथक किया गया।

04. अभियुक्त शिव सिंह के उपस्थित होने पर न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में विरचित किए गए। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोग कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–01 मामले की पीड़िता, पी0डब्लू0–02 डाक्टर सीमा गुप्ता, पी0डब्लू0–03 एच0सी0 198 इन्द्रपाल सिंह, पी0डब्लू0–04 डाक्टर मंजू सचान, पी0डब्लू0–05 महेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाध्यापक, पी0डब्लू0–06 वादी मुकदमा, अमर सिंह एवं पी0डब्लू0–07 उपनिरीक्षक सुधीर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं तथा उन्हें साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है–

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	साबित किए गए प्रपत्र	प्रमाणित साक्षी	साक्षी विवरण
1	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी पीड़िता	पी0डब्लू0–01	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
2	प्रदर्श क–2	बयान धारा 164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–01	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
3	प्रदर्श क–3	कम्प्यूटरीकृत प्रति जीडी	पी0डब्लू0–03	औपचारिक साक्षी
4	प्रदर्श क–4	चिक एफआईआर	पी0डब्लू0–03	औपचारिक साक्षी
5	प्रदर्श क–5	पूरक चिकित्सीय आख्या	पी0डब्लू0–04	चिकित्सक/औपचारिक साक्षी
6	प्रदर्श क–6	चिकित्सीय आख्या	पी0डब्लू0–04	चिकित्सक/औपचारिक साक्षी
7	प्रदर्श क–7	एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति	पी0डब्लू0–05	प्रधानाचार्य/औपचारिक साक्षी
8	प्रदर्श क–8	जन्मतिथि प्रमाण पत्र	पी0डब्लू0–05	प्रधानाचार्य/औपचारिक साक्षी

9	प्रदर्श क–9	लिखित तहरीर	पी0डब्लू0–06	वादी / तथ्य का साक्षी
10	प्रदर्श क–10	घटनास्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–07	विवेचक / औपचारिक साक्षी
11	प्रदर्श क–11	पीड़िता की बरामदगी का नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–07	विवेचक / औपचारिक साक्षी
12	प्रदर्श क–12	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–07	विवेचक / औपचारिक साक्षी
13	प्रदर्श क–13	सुपुर्दगीनामा पीड़िता	पी0डब्लू0–07	विवेचक / औपचारिक साक्षी
14	प्रदर्श क–14	गिरफ्तारी जीडी	पी0डब्लू0–07	विवेचक / औपचारिक साक्षी

07. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किए गए, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि घटना गलत है। पीड़िता ने गलत बयान दिए हैं। वादी मुकदमा ने गलत बयान दिए हैं। डाक्टर सीमा गुप्ता के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना है। डाक्टर मंजू सचान द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गयी है। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा गलत आयु साबित की गयी है। विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उसके विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलाया गया है।

08. मैंने अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक के तर्कों एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों का श्रवण किया तथा प्रस्तुत तर्कों को निर्णय में जहॉ तहां उद्धृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का भी सम्यक् अवलोकन किया गया।

09. अभियुक्त की ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता का व्यपहरण नहीं किया गया और न ही उसके साथ कोई बलात्संग कारित किया गया है, स्वयं मामले की पीड़िता ने पक्षद्रोही साक्ष्य दी है। वादी मुकदमा ने विरोधाभासी कथन किए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उसकी आयु गलत साबित की गयी है। मामले के विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। विवेचक के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध सारभूत साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को जहॉ तहॉ से उद्धरित करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अपने केस को अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री / पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरित कर ले जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किया गया है। पीड़िता घटना के समय एक नाबालिग बालिका रही है। अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्संग कारित कर गम्भीर प्रकृति का

अपराध कारित किया गया है, जिसे अभियोजन द्वारा साबित भी किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजन (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपने केस को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

11. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 07 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें 02 तथ्य के साक्षी व शेष औपचारिक गवाह हैं। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–14 (उपरिवर्णित) प्रस्तुत किये गये हैं।

<u>साक्ष्य</u>

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य की साक्षी **पी0डब्लू0–01 मामले की पीड़िता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 16 सितम्बर 2019, समय दस बजे की है, उक्त दिनांक को समय करीब दस बजे सुबह वह अपनी मां फूलश्री के साथ दवा लेने गयी हुई थी, वहां से वापस आते समय मम्मी उसके साथ नहर तक साथ आयी, वहां से मम्मी ने उससे कहा कि तुम अकेले घर चली जाओ, उसे बाजार में कुछ काम है। वह घर के लिए चली, तभी बारिश होने लगी, वहॉ एक झोपड़ी के बाहर वह बारिश रूकने का इंतजार करने लगी, तभी वहॉ शिव सिंह की मम्मी व चाची आ गयी, उन्होंने उससे कहा कि उसने जो छेड़खानी का मुकदमा अभियुक्त शिव सिंह के खिलाफ पूर्व में दर्ज किया है, उसमें समझौता कर लो तो अच्छा होगा, तभी वहॉ पर उसके गांव का भीम ऑटो से आया और उसने उससे कहा कि उसकी मम्मी बुला रही है, वह उसके साथ ऑटो में चली गयी, रास्ते में उसके गांव का मंजीत व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी बैठ गया, भीम ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी, जब उसे होश आया तो वह हरियाणा में अभियुक्त शिव सिंह के बहनोई के घर पर थी, वहॉ अभियुक्त ने उसे लगभग दो महीने डरा धमका कर रखा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा, जब वह चिल्लाती तो जान से मारने की धमकी देता था। घटना की सूचना पुलिस को देने के कारण अभियुक्त शिव सिंह पर दबाव बना तथा वह उसके वापस औरैया लेकर आ रहा था, तो जालौन चौराहे पर उसे तथा अभियुक्त शिव सिंह को पुलिस ने बरामद किया और उन दोनों लोगों को लेकर पुलिस थाने आयी, पुलिस ने वहॉ पर उसका कोई बयान नहीं लिया था, एक बार उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए लेकर गए, लेकिन चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। फिर दोबारा जब उसे उसकी मां के साथ चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गए थे, तब उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। गवाह को पत्रावली में शामिल कागज सं0 10क/6 पर लिखा कथन ''दिनांक 16.09.2019 की घटना है,..................इन्होंने भी धमकाया।'' दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह कथन उसके बोलने पर महिला पुलिस अधिकारी ने लिखा था, लिखने के बाद उसे पढ़कर

सुनाया गया, उसके बाद ही उसने अपने हस्ताक्षर कथन पर किए थे। जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, गवाह को पत्रावली में शामिल कागज सं0 8क/2 दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही फर्द बरामदगी है जो पुलिसने उसे तथा अभियुक्त को बरामद करते समय लिखी थी, लिखने के बाद उस पढ़कर सुनाया गथा। उसके बाद ही उसने अपने हस्ताक्षर फर्द पर किए थे, जिसकी वह पहचान करती है, फर्द बरामदगी कागज सं0 8क/2 के पुश्त पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसने महारानी अहिल्या बाई इण्टर कॉलेज फफूंद रोड औरैया से कक्षा पॉच की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा उसकी जन्मतिथि 25.08.2007 है तथा घटना के समय उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। न्यायालय की अनुमति से सीलबंद लिफाफा 20क बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 खोला गया तथा उसमें रखे बयान को पीड़िता को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो पीड़िता ने कहा कि यह वही बयान है, जो उसने मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था, बयान लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनाया गया, उसके बाद ही बयान पर उसने हस्ताक्षर किए थे, बयान पर उसकी फोटो चस्पा है, तथा उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। बयान को पत्रावली में कागज सं0 21क/1 के रूप में संलग्न किया गया है। अभियुक्त के परिवारीजन समझौते के लिए डराते धमकाते है, दबाव बनाते हैं, आज वह जिला न्यायालय में बिना किसी डर, भय या दबाव के स्वेच्छा से बयान दे रही है।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–02 डाक्टर सीमा गुप्ता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.11.2019 को वह जिला चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को इस मुकदमे की पीड़िता को समय करीब एक बजे दोपहर महिला कान्सटेबल संगीता द्वारा उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। उसने पीड़िता की पहचान सुनिश्चित करते हुए उसके दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया। पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से मना कर दिया, इसलिए विधि अनुसार उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–03 एस0सी0 198 इन्द्रपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.09.2019 को वह थाना कोतवाली औरैया मे हैड कां0 के पद पर तैनात था, उक्त दिनांक को वादी अमर सिंह द्वारा दिए गए हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रभारी अधिकारी के मौखिक आदेश से मुकदमा अपराध सं0 713/2019 धारा 363, 366, 376 भा0दं0सं0 दर्ज किया गया व जीडी सं0 42 उसके बोलने पर कां0 887 साहिद हुसैन द्वारा कम्प्यूटर पर किता की गयी, जो पत्रावली में कागज सं0 7क/1 के रूप में संलग्न है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसी क्रम में अभियोग

की एफआईआर उसके द्वारा बोल बोल कर कां0 साहिद हुसैन से कम्प्यूटर पर किता की गयी, जो पत्रावली में कागज सं0 4क/1 लगायत 4क/2 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाने की मुहर लगी है, प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–04 डाक्टर मंजू सचान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.11.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थी, उक्त दिनांक को समय 11.50 एएम पर महिला कां0 मधु देवी द्वारा इस अभियोग की पीड़िता को उसके समक्ष डाक्टरी हेतु प्रस्तुत किया गया, पीड़िता के साथ उसकी मां फूलश्री आयी थी। कागज सं0 10क/6 पर लिखा कथन ''दिनांक 16.09.2019 की घटना है...........इन्होंने भी धमकाया था।'' पीड़िता के बोलने पर महिला कां0 के द्वारा लिखा गया था, इस पर पीड़िता के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है। कॉलम सं0 15एफ पीड़िता के बताने के अनुसार भरा गया था, पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, पीड़िता का हाईमन ओल्ड रेप्चर था, उसने पीड़िता को उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास रिफर किया था। पीड़िता की योनि की स्लाइड बनाकर शुक्राणु परीक्षण हेतु पैथोलॉजी भिजवाया था, पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्ट आने के पश्चात उसके द्वारा पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की थी, जो पत्रावली में कागज सं0 11क/1 लगायत 11क/2 के रूप में संलग्न है, उसके हस्तलेख में है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। रेडियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 12 वर्ष थी, बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, कागज सं0 10क/4 लगायत 10क/11 पीड़िता की चिकित्सीय आख्या है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–05 महेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य**, महारानी अहिल्याबाई होल्कर इण्टर कॉलेज थाना व जिला औरैया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि न्यायालय द्वारा जारी समन के अनुपालन में वह आज छात्रा/पीड़िता पुत्री अमर सिंह से सम्बंधित मूल एसआर रटिस्टर के साथ उपस्थित आया है। छात्रा ने उसके विद्यालय में दिनांक 01.07.2011 को कक्षा–01 में प्रवेश लिया था और कक्षा–05 तक शिक्षा गृहण की थी। छात्रा का नाम एसआर क्रमांक 921 के सामने अंकित है तथा उसकी जन्मतिथि 25.08.2007 अंकित है, जो छात्रा के प्रवेश के समय अभिभावक द्वारा बताये जाने के अनुसार अंकित की गयी थी। वह आज न्यायालय में एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति दाखिल कर रहा है, जिसे पत्रावली में कागज सं0 64क के रूप में संलग्न किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, विद्यालय की मोहर

लगी है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–07 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह तत्कालीन प्रधानाचार्य योगेश कुमार द्वारा जारी छात्रा का जन्मतिथि प्रमाणपत्र की छाया प्रति है, जिसे वह आज एसआर रजिस्टर देखकर प्रमाणित कर रहा है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, विद्यालय की मोहर लगी है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–08 डाला गया।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी **पी0डब्लू0–06 वादी मुकदमा, अमर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.09.2019 को सबेरे दस बजे पत्नी फूलश्री तथा पीड़िता पुत्री उम्र करीब तेरह वर्ष को बुखार होने के कारण करियापुर के डाक्टर के पास फफूंद रोड पर गयी थी, दवा लेकर वापस आकर गांव शाला मन्दिर के पास नहर के पास उसकी पत्नी ने पीड़िता पुत्री को घर भेज दिया और पत्नी चारा लेने खेतों पर चली गयी, जब पत्नी चारा लेकर वापस आयी तब उसने पत्नी से पीड़िता पुत्री के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने उसके बताया कि उसने तो उसे दवा दिलवाकर घर भेज दिया था, लेकिन पुत्री घर नहीं पहुंची। अभियुक्त शिव सिंह उसके गांव का है। शिव सिंह के खिलाफ उसने पहले छेड़खानी का मुकदमा लिखाया था, वह मुकदमा भी इसी न्यायालय में चल रहा है, पुत्री की तलाश करने पर यह जानकारी हुई कि शिव सिंह की चाची मीरा देवी ने पीड़िता पुत्री को शिव सिंह के साथ भगवाया है, तब उसने पुत्री के न मिलने पर एक तहरीर एक व्यक्ति से बोल बोल कर लिखवाकर थाने औरैया में देकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। पत्रावली में शामिल तहरीर कागज सं0 5क को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है, जिसे उसने एक व्यक्ति से बोल बोल कर लिखायी थी, और सुनकर समझकर अपना निशानी अंगूठा लगाकर थाना औरैया में देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इस तहरीर पर उसका निशानी अंगूठा है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। उसकी पुत्री को लगभग दो माह बाद पुलिस ने बरामद किया था। पीड़िता पुत्री के मिलने के बाद उसने उसे बताया था कि मम्मी ने जब उसे घर जाने के लिए नहर के पास छोड़ दिया था तो रास्ते में बारिश होने लगी, तो वह झोपड़ी के अन्दर रूक गयी, तभी वहॉ शिव सिंह की मम्मी व चाची आ गयी, ओर उन्होंने उससे बाते करते हुए कहा कि उसे उसकी मम्मी बुला रही है और ऑटो में बिठा दिया, रास्ते में गांव का लड़का मंजीत व भीमा ऑटो में बैठ गए, भीमा व मंजीत ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी, फिर हरियाणा में शिव सिंह के बहनोई के घर होश आया, पुत्री ने उसे यह भी बताया था कि वहॉ पर शिव सिंह ने लगभग दो महीने डरा धमका कर रखा और उसके साथ जबरन बुरा काम किया, बुरा काम का मतलब बलात्कार किया। दरोगाजी ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था, उसने दरोगाजी को घटनास्थल दिखाया था, उसने

पुत्री का दाखिला स्कूल में करवाया था और जन्मतिथि सही लिखवायी थी।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–07 उपनिरीक्षक सुधीर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक–19.09.2019 को इस अभियोग की एफआईआर पंजीकृत होने के पश्चात नकल एफआईआर, नकल रपट उसे विवेचना हेतु प्राप्त हुई। पर्चा नं०–1 में नकल एफआईआर, नकल रपट का अवलोकन किया। बयान कायमी लेखक हेड कॉ० इन्द्रपाल सिंह, एफआईआर कर्ता का० शाहिद हुसैन का बयान अंकित किया। मु०अं०सं०–623/2019 से संबंधित पीड़िता के जन्मतिथि प्रमाण पत्र व चिकित्सीय रिपोर्ट की छायाप्रतियों का अवलोकन किया। पर्चा नं०–2 में बयान वादी अमर सिंह, श्रीमती फूलश्री अंकित किया। वादी व उसकी पत्नी फूलश्री की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जो पत्रावली में 12क/1 के रुप में संलग्न है, जो उसके हस्तलेख में है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। समई साक्षी पूनम, राखी एवं डॉ० जहान सिंह का बयान अंकित किया। पर्चा नं०–4 में वादी अमर सिंह द्वारा यह बताया गया कि उसकी पीड़िता पुत्री को गांव का ही शिव सिंह अपने साथ भगा ले गया है और हरियाणा में किसी जगह उसे रखा है। पर्चा नं०–5 में अभियुक्त शिव सिंह की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी जालौन चौराहे से की गयी। पत्रावली में शामिल कागज सं०–8क/2 फर्द बरामदगी पीड़िता है, जो बरामदगी के समय तैयार किया गया है। इस पर उसके, पीड़िता व अभियुक्त शिव सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 अंकित है। पत्रावली में शामिल कागज सं0–12क/2 नक्शा नजरी बरामदगी व गिरफ्तारी है, जो उसके हस्तलेख में है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी महिला एसआई पूजा द्वारा अंकित कराया गया। बयान का अवलोकन किया। अभियुक्त का बयान अंकित किया। पर्चा न०–6 में पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। पर्चा नं०–7 में बयान परिस्थितजन्य गवाह जयराम व लल्लन सिंह अंकित किया। पर्चा नं०–8 व 9 में पीड़िता को बयान 164 कराने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया लेकिन बयान अंकित नहीं किये जा सके। पर्चा नं०–12 में पीड़िता का बयान 164 सीआरपीसी अंकित कराया गया, बयान का अवलोकन किया। जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त शिव सिंह द्वारा हरियाणा में दो महीने डरा धमका कर रखने व बलात्कार करने वाली बात बतायी थी, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376 आईपीसी व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। पर्चा नं०–13 में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान गवाह मीरा देवी व मालती देवी अंकित किया। पर्चा नं०–14 में वादी व वादी की पत्नी फूल श्री से मजीद पूछताछ की। बयान साक्षी श्याम सुन्दर, दलवीर, महेश व गौरव अंकित किया। पर्चा नं०–15 में बयान जितेन्द्र, देवी सिंह, रजपाल,

मंजू, रामकिशन, विशम्भर, रानी देवी व गोविन्द गुप्ता अंकित किये। पर्चा नं०–16 में बयान कुलदीप, ग्याप्रसाद, संजय, रामजी वर्मा, सुभान सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह व भीम अंकित किये। पर्चा नं०–17 में पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान बरामदगी साक्षी कॉ० अर्जुन सिंह, महिला कॉ० संगीता एवं कॉ० दीपक कुमार अंकित किया। पर्चा नं०–19 में बयान मंजीत अंकित किया। पर्चा नं०–20 में पीड़िता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया। डॉ० सीमा गुप्ता व डॉ० मंजू सचान अंकित किये। पर्चा नं०–22 में अभियुक्त शिव सिंह के विरुद्ध विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं०–671/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में कागज सं०–3क/1 लगायत 3क/3 के रुप में संलग्न है। जिस पर थाने की मुहर लगी है, उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। कागज सं०–16ख/17 सुपुर्दगीनामा है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। कागज सं–16ख/7 गिरफ्तारी जीडी है, जिस पर थाने की मुहर लगी है, उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

साक्ष्य का विश्लेषण

19. प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त शिव सिंह पर आरोप यह है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को उसके विधिक संरक्षण से अयुक्त सम्भोग व विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरित किया गया है तथा उसके साथ बलात्संग कर उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

20. अभियोजन कथानक, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, के अनुसार प्रार्थी अमर सिंह पुत्र स्व० सुखई दोहरे निवासी ग्राम शाला मन्दिर मौजा मधूपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया का है। दिनांक 16.09.2019 को सुबह 10 बजे करीब उसकी पत्नी फूलश्री,उसकी बेटी/पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष को बुखार होने के कारण दवा दिलाने के लिए करियापुर के डाक्टर फफूँद रोड के यहाँ गयी थी, दवा लेकर वापिस आते समय ग्राम शाला मन्दिर के बाहर नहर के पास उसकी पत्नी ने पीड़िता को घर के लिए भेज दिया और खुद चारा लेने के लिए खेतों पर चली गयी, जब चारा लेकर उसकी पत्नी घर पहुँची तो उसने उससे सोनी के बारे में पूछा तो उसने उसने बताया कि उसने तो दवा दिलवा कर उसे घर भेज दिया था, साहब उसकी बेटी दवा लेकर घर नहीं आयी, उसे शक है कि उसकी बेटी को शिव सिंह पुत्र गया प्रसाद उसके ही गाँव का बहला फुसलाकर करके कहीं ले गया है। चूंकि शिव सिंह के खिलाफ उसने छेड़खानी का मुकदमा लिखवाया था। उसे जानकारी मिली है कि उसकी बेटी को शिव सिंह के साथ

मीरा देवी ने ही भगवाया है।

21. उक्त आरोपों के सापेक्ष प्रथमतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रयोजन से पीड़िता की आयु पर विचार किया जाना समीचीन होगा। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता नाबालिग है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में पीड़िता के स्कूल महारानी अहिल्याबाई होल्कर इण्टर कॉलेज थाना व जिला औरैया के प्रधानाचार्य, महेन्द्र पाल सिंह, पी0डब्लू0–05 परीक्षित हुए हैं तथा उनके द्वारा पीड़िता की आयु को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्र कागज सं0 64क एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–7 एवं कागज सं0 9क/1 जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श क–8 को दाखिल का प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त शैक्षणिक प्रपत्रों में पीड़िता की जन्मतिथि 25.08.2007 अंकित है।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उसकी आयु गलत साबित की गयी है। पीड़िता की आयु उसके अभिभावक द्वारा शैक्षणिक प्रपत्र में कम अंकित करायी गयी है। इस प्रकार पीड़िता की आयु संदिग्ध होना कहा है, जिसका अभियुक्त को लाभ मिलना चाहिए। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि पीड़िता के उपरोक्त शैक्षणिक प्रपत्रों प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 में उसकी जन्मतिथि 25.08.2007 अंकित है तथा घटना दिनांक 16.09.2019 की है, जिसकी गणना करने पर उसकी आयु घटना के समय 12 वर्ष 22 दिन होती है।

23. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के अन्तर्गत आयु निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अथवा अंकपत्र अथवा अन्तिम शैक्षणिक विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें उसकी जन्मतिथि उल्लिखित हो। उक्त प्रपत्रों के न होने की दशा में स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र तथा इन प्रपत्रों के न होने की दशा में चिकित्सीय पद्धति द्वारा आयु निर्धारण है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा–94 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत पीड़िता की आयु के निर्धारण के सम्बन्ध में पत्रावली पर पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्रों कागज सं0 64क एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–7 एवं कागज सं0 9क/1 जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श क–8 को उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा दाखिल कर प्रमाणित किया गया है। अतः आयु के सम्बन्ध में प्राथमिकता विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की ही दी जायेगी। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता की जन्मतिथि 25.08.2007 न होकर अन्यथा दर्शित हो।

24. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु के खण्डन में पीड़िता के स्कूल के प्रधानाध्यापक से भिन्न कोई तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता की आयु भिन्न दर्शित हो। अतः इस साक्षी की साक्ष्य आयु के सम्बन्ध में

अखण्डित है। इस साक्षी ने धारा 2(घ) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता को 18 वर्ष से कम की बालिका होने के तथ्य को प्रमाणित किया है। इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(घ) के अनुसार पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका की श्रेणी में है।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मामले की पीड़िता ने भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कथन किए हैं तथा विरोधाभासी बयान दिए हैं। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को व्यपहरित कर नहीं ले जाया गया है और न ही उसके साथ कोई बलात्संग किया गया है। स्वयं मामले की पीड़िता ने जिरह में अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही साक्ष्य दी है तथा उसने कथन किया है कि वह शादी से पहले मुल्जिम शिव सिंह के साथ कभी कहीं नहीं गयी है, न उसके साथ रही, न ही उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। तथ्य के अन्य साक्षी वादी मुकदमा ने भी विरोधाभासी कथन किए हैं। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मामले के विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण घटना पूर्णतया संदिग्ध है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए।

26. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष द्वारा दिए तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि मामले की पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0, चिकित्सक के समक्ष दिए बयानों में तथा न्यायालय के समक्ष अंकित की गयी अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। तथ्य के अन्य साक्षी वादी मुकदमा द्वारा भी अपने बयानों में अभियोग कथानक का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर में भी अभियुक्त नामदर्ज है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने उपरोक्त बयानों में अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त की संलिप्तता बतायी गयी है, जिसके आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

27. मामले की पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 में कहा है कि– वह अपने पड़ोसी शिव सिंह को चाहती है, इसी बात का फायदा उठाकर उसके पिताजी ने शिव सिंह, उसके पिता गया प्रसाद और उसके दोस्त मंजीत के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिखाया था, जिसके बाद दारोगाजी ने कोर्ट के बयान के लिए उसे पापा के साथ थाने आने को कहा था, पर उसके पापा शिव सिंह के घर वालों से पैसा चाहते थे, तभी वह जान गई कि उसके मम्मी पापा किसी ट्रक चलाने वाले, उससे ज्यादा उम्र के आदमी से उसकी शादी करना चाहते थे, तो वह अपनी मर्जी से शिव सिंह के साथ चली गयी थी। इस प्रकार पीड़िता ने अपने उक्त बयान में अभियुक्त को चाहने तथा उसके साथ चले जाने का कथन किया है। इसी प्रकार बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 में कहा है

कि— दिनांक 16.09.2019 को दिन के दस—ग्यारह बजे उसका भाई भीम घर आया और कहा कि उसकी मां ने बुलाया है, उसकी मां उस वक्त बाजार गयी थी, तो वह चली गयी। ऑटो में उसे मंजीत और एक लड़का मिला, उसे उन लोगों ने बेहोश कर दिया। होश में आने पर वह हरियाणा में थी। वहॉ वह दो महीने रही, उसे शिव सिंह डराता धमकाता था, उसके साथ गलत काम, बलात्कार करता था, उसके कपड़े उतारकर, अपने कपड़े उतार कर गंदा काम करता था, दो महीने बाद पुलिस वालों ने उसका पता लगाकर उसे पकड़ा। उक्त बयान में पीड़िता ने अभियुक्त शिव सिंह द्वारा उसको दो माह तक हरियाणा में कमरे पर रखने, उसको डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार करने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने चिकित्सक के समक्ष कागज सं0 10क/6 पर यह बयान दिया है कि दिनांक 16.09.2019 की घटना है, वह औरैया से लौटकर घर पर जा रही थी, कि गांव के पास गांव के शिव सिंह की चाची और मम्मी उसे मिली, उसे रोक लिया, इस घटना के पहले शिव सिंह ने उसके साथ छेड़खानी की घटना की थी, इसलिए समझौता के लिए समझाने लगीं, इसी बीच गांव का लड़का भीम ऑटो लेकर आया और उससे कहा कि उसकी मम्मी ने औरैया बुलाया है, वह उसके साथ ऑटो में बैठ गयी, उसके बाद औरैया ले जाकर वह इटावा ले गया, वहॉ पर शिव सिंह के साथ भीम उसे हरियाणा में रोहित के यहॉ रखा, बाद में शिव सिंह उसे अपने बहनोई के निवास स्थित बहादुरगढ़ में रखा, वहॉ पर शिव सिंह ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्कार किया।

28. मामले की पीड़िता पी0डब्लू0—01 ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 16 सितम्बर 2019, समय दस बजे की है, उक्त दिनांक को समय करीब दस बजे सुबह वह अपनी मां फूलश्री के साथ दवा लेने गयी हुई थी, वहां से वापस आते समय मम्मी उसके साथ नहर तक साथ आयी, वहां से मम्मी ने उससे कहा कि तुम अकेले घर चली जाओ, उसे बाजार में कुछ काम है। वह घर के लिए चली, तभी बारिश होने लगी, वहॉ एक झोपड़ी के बाहर वह बारिश रूकने का इंतजार करने लगी, तभी वहॉ शिव सिंह की मम्मी व चाची आ गयी, उन्होंने उससे कहा कि उसने जो छेड़खानी का मुकदमा अभियुक्त शिव सिंह के खिलाफ पूर्व में दर्ज किया है, उसमें समझौता कर लो तो अच्छा होगा, तभी वहॉ पर उसके गांव का भीम ऑटो से आया और उसने उससे कहा कि उसकी मम्मी बुला रही है, वह उसके साथ ऑटो में चली गयी, रास्ते में उसके गांव का मंजीत व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी बैठ गया, भीम ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी, जब उसे होश आया तो वह हरियाणा में अभियुक्त शिव सिंह के बहनोई के घर पर थी, वहॉ अभियुक्त ने उसे लगभग दो महीने डरा धमका कर रखा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा, जब वह चिल्लाती तो जान से मारने की धमकी देता था। घटना की सूचना पुलिस को

देने के कारण अभियुक्त शिव सिंह पर दबाव बना तथा वह उसके वापस औरैया लेकर आ रहा था, तो जालौन चौराहे पर उसे तथा अभियुक्त शिव सिंह को पुलिस ने बरामद किया और उन दोनों लोगों को लेकर पुलिस थाने आयी, पुलिस ने वहॉ पर उसका कोई बयान नहीं लिया था, एक बार उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए लेकर गए, लेकिन चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। फिर दोबारा जब उसे उसकी मां के साथ चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गए थे, तब उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। उसने महारानी अहिल्या बाई इण्टर कॉलेज फफूंद रोड औरैया से कक्षा पॉच की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा उसकी जन्मतिथि 25.08.2007 है तथा घटना के समय उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। अभियुक्त के परिवारीजन समझौते के लिए डराते धमकाते है, दबाव बनाते हैं। इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 एवं बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 को प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा अभियुक्त शिव सिंह द्वारा उसको हरियाणा में डरा धमका कर अपने बहनोई के घर पर रखना और उसके साथ बलात्संग कारित करने का कथन किया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है।

29. बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से की गयी जिरह में इसने कहा है कि उसका घर शिव सिंह के घर से 6–7 घर छोड़कर है। घटना दिनांक 16 सितम्बर 2019 की है। समय करीब दस बजे कही है, वह दवा लेने मम्मी के साथ गयी थी। वह करियापुर के डाक्टर से दवा लेने गयी थी। डाक्टर से दवाई लेके वह मम्मी के साथ आयी, नहर से मम्मी बाजार चली गयी, वह अकेली घर आ रही थी, मम्मी औरैया बाजार आयी थी। उसने औरैया नहर होते हुए वापसी की थी। पिता जी ने पुलिस में शिकायत की थी, इसीलिए उसी के दबाव में वह हरियाणा से आया था, उसे लेके। वह हरियाणा से बस से आयी थी। वह बस में चिल्लाई नहीं थी, क्योंकि अभियुक्त उसे दबाव में लेकर आ रहा था। इस बात से इंकार किया है कि वह शिव सिंह से प्रेम करती है और वह घर वालों के दबाव में झूठी गवाही दे रही है। इस साक्षी ने जिरह में भी अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। जिरह में इस साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य नहीं कहा है, जिससे उसकी मुख्य परीक्षा सारतः खण्डित होती हो।

30. इस प्रकार इस पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 एवं न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा घटनास्थल, घटना की तिथि और अभियुक्त तथा उसकी उपस्थिति एक साथ होना व उस पर लैंगिक हमला होना प्रमाणित किया है। अभियुक्त द्वारा उसके साथ हरियाणा में बलात्संग करने तथा प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में कथन किए हैं। अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित है, किन्तु अभियुक्त द्वारा अयुक्त सम्भोग

करने के आशय से पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षण से हटाना अर्थात व्यपहरण करना स्थापित नहीं होता है, क्योंकि पीड़िता ने स्वयं अपने बयानों में अन्य व्यक्तियों द्वारा उसको हरियाणा ले जाना कहा है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर प्रवेशन लैंगिक हमला और बलात्संग कारित करना स्थापित व प्रमाणित होता है।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमुखता से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले की पीड़िता ने अपनी जिरह दिनांकित 18.08.2026 में अभियोग कथानक व अपराध की पुष्टि नहीं की है तथा अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार किया है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

32. मामले की पीड़िता ने जिरह दिनांकित 18.08.2026 में यह कहा है कि उसकी शादी सन 2022 में अभियुक्त शिव सिंह के साथ हुई थी, जब उसकी शादी हुई थी, तब उसकी उम्र 18 साल थी, वह शादी से पहले मुल्जिम शिव सिंह के साथ कभी कहीं नहीं गयी, न ही उसके साथ कभी रही, न उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाये। इस मुकदमे से पहले जो बयान दिए हैं, वह पिता जी के कहने पर उनके दबाव में, उनके द्वारा मारपीट व फटकारने की वजह से दबाव में दिए हैं। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता की पूर्व में न्यायालय के समक्ष बतौर पी0डब्लू0–01 के रूप में दिनांक 20.11.2021 को मुख्य परीक्षा पूर्ण हुई तथा कुछ जिरह हुई है एवं शेष जिरह दिनांक 22.11.2021 को पूर्ण हुई है, जिस पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। चूॅकि पीड़िता की पुनः प्रतिपरीक्षा दिनांक 18.08.2026 को पूर्व बयानों से लगभग पॉच वर्षों के बाद हुई है तथा जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त शिव सिंह के साथ शादी करना कहा है, जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा इतने लम्बे समय अन्तराल बाद यह साक्ष्य अभियुक्त से शादी होने के कारण व अभियुक्त के प्रभाव में आकर दी गयी है।

33. अभियोजन की पक्षद्रोही साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत प्रेक्षण एवं निर्देश निर्णयज विधि **रमेश और अन्य स्टेट ऑफ हरियाणा (2017) 1 SCC 529** में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसका सुसंगत अंश उद्धरित किया जाना उचित होगा–

"36- In some of the judgments in past few years, this Court has commented upon such peculiar behaviour of witnesses turning hostile and we would like to quote from few such judgments. In **Krishna Mochi v. State of Bihar MANU/SC/0327/2002: (2002) 6 SCC 81**, this Court observed as under:

31. It is matter of common experience that in recent times there has been sharp decline of ethical values in public life even in developed countries much less developing one, like ours, where the ratio of decline is higher. Even in ordinary cases, witnesses are not inclined to depose or their evidence is not found to be credible by courts for manifold reasons. One of the reasons may be that they do not have courage to depose against an accused because of threats to their life, more so when the offenders are habitual criminals or high-ups in the Government or close to powers, which may be political, economic or other powers including muscle power.

....

39. In **State v. Sanjeev Nanda MANU/SC/0621/2012: (2012) 8 SCC 450**, the Court felt constrained in reiterating the growing disturbing trend:

99. Witness turning hostile is a major disturbing factor faced by the criminal courts in India. Reasons are many for the witnesses turning hostile, but of late, we see, especially in high profile cases, there is a regularity in the witnesses turning hostile, either due to monetary consideration or by other tempting offers which undermine the entire criminal justice system and people carry the impression that the mighty and powerful can always get away from the clutches of law thereby, eroding people's faith in the system.

100. This Court in **State of U.P. v. Ramesh Mishra and Anr. MANU/SC/0706/1996: AIR 1996 SC 2766** held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness could not be totally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subjected to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted. In **K. Anbazhagan v. Superintendent of Police and Anr. MANU/SC/0139/2004: AIR 2004 SC 524**, this

Court held that if a court finds that in the process the credit of the witness has not been completely shaken, he may after reading and considering the evidence of the witness as a whole with due caution, accept, in the light of the evidence on the record that part of his testimony which it finds to be creditworthy and act upon it. This is exactly what was done in the instant case by both the trial court and the High Court and they found the accused guilty."

34. उपरोक्त निर्णयज विधि में अवलम्बित तथा अन्य सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयज विधियों **Raja Vs. State of Karnataka, (2016) 10 SCC 506, Pooja Pal Vs. Union of India, (2016) 3 SCC 135, Vinod Kumar Vs. State of Punjab, (2015) 3 SCC 220, Veer Singh Vs. State of UP, (2014) 2 SCC 455, Shyamal Ghosh Vs. State of WB, AIR 2012 SC 3539, Bhajju Vs. State of M.P., 2012(77) ACC 182 (SC), G.Parshwanath Vs. State of Karnataka, AIR 2010 SC 2914, Prithi Vs. State of Haryana, (2010) 8 SCC 536**. में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से स्पष्ट है कि पक्षद्रोही साक्षी की वह साक्ष्य जो अभियोग कथानक से सुसंगत है, ग्रहण की जा सकती है।

35. यहॉ उल्लेखनीय है कि पीड़िता जो कि मामले की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसके साथ घटना घटी है, ने अपने बयान धारा 161, 164 दं0प्र0सं0 व अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा घटनास्थल, घटना की तिथि और अभियुक्त तथा उसकी उपस्थिति एक साथ होना व उस पर लैंगिक हमला होना प्रमाणित किया है। अतः बचाव पक्ष के तर्कों में कोई बल नहीं है।

36. पी0डब्लू0–06 के रूप में वादी मुकदमा, अमर सिंह परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 16.09.2019 को सबेरे दस बजे पत्नी फूलश्री तथा पीड़िता पुत्री उम्र करीब तेरह वर्ष को बुखार होने के कारण करियापुर के डाक्टर के पास फफूँद रोड पर गयी थी, दवा लेकर वापस आकर गांव साला मन्दिर के पास नहर के पास उसकी पत्नी ने पीड़िता पुत्री को घर भेज दिया और पत्नी चारा लेने खेतों पर चली गयी, जब पत्नी चारा लेकर वापस आयी तब उसने पत्नी से पीड़िता पुत्री के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने उसके बताया कि उसने तो उसे दवा दिलवाकर घर भेज दिया था, लेकिन पुत्री घर नहीं पहुंची। अभियुक्त शिव सिंह उसके गांव का है। शिव सिंह के खिलाफ उसने पहले छेड़खानी का मुकदमा लिखाया था, वह

मुकदमा भी इसी न्यायालय में चल रहा है, पुत्री की तलाश करने पर यह जानकारी हुई कि शिव सिंह की चाची मीरा देवी ने पीड़िता पुत्री को शिव सिंह के साथ भगवाया है, तब उसने पुत्री के न मिलने पर एक तहरीर एक व्यक्ति से बोल बोल कर लिखवाकर थाने औरैया में देकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसकी पुत्री को लगभग दो माह बाद पुलिस ने बरामद किया था। पीड़िता पुत्री के मिलने के बाद उसने उसे बताया था कि मम्मी ने जब उसे घर जाने के लिए नहर के पास छोड़ दिया था तो रास्ते में बारिश होने लगी, तो वह झोपड़ी के अन्दर रूक गयी, तभी वहॉ शिव सिंह की मम्मी व चाची आ गयी, ओर उन्होंने उससे बाते करते हुए कहा कि उसे उसकी मम्मी बुला रही है और ऑटो में बिठा दिया, रास्ते में गांव का लड़का मंजीत व भीमा ऑटो में बैठ गए, भीमा व मंजीत ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी, फिर हरियाणा में शिव सिंह के बहनोई के घर होश आया, पुत्री ने उसे यह भी बताया था कि वहॉ पर शिव सिंह ने लगभग दो महीने डरा धमका कर रखा और उसके साथ जबरन बुरा काम किया, बुरा काम का मतलब बलात्कार किया। दरोगाजी ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था, उसने दरोगाजी को घटनास्थल दिखाया था, उसने पुत्री का दाखिला स्कूल में करवाया था और जन्मतिथि सही लिखवायी थी। इस साक्षी ने प्रदर्श क–1 लिखित तरहीर प्रदर्श क–9 को प्रमाणित किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोग कथानक का समर्थन किया है अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। जिरह में इस साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य नहीं कहा है, जिससे उसकी मुख्य परीक्षा सारतः खण्डित होती हो।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं जिरह में कहा है कि घटना वाले दिन वह सुबह नौ बजे बाजार काम करने के लिए आ गया था और बाजार से वापस छः बजे अपने घर पहुंच गया था। उसने अपनी लड़की को किसी अभियुक्त के साथ जाते हुए नहीं देखा था, किन्तु इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्त शिव सिंह उसके गांव का है। शिव सिंह के खिलाफ उसने पहले छेड़खानी का मुकदमा लिखाया था, वह मुकदमा भी इसी न्यायालय में चल रहा है, पुत्री की तलाश करने पर यह जानकारी हुई कि शिव सिंह की चाची मीरा देवी ने पीड़िता पुत्री को शिव सिंह के साथ भगवाया है, इसकी साक्ष्य इस सन्दर्भ में प्रासंगिक है कि घटना की सूचना थाने पर दी, जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ, उसने लिखित तहरीर प्रदर्श क–9 को प्रमाणित किया है और घटना के उपरान्त घटना की सूचना भी उसे प्राप्त हुई है। इसने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि उसकी पुत्री को लगभग दो माह बाद पुलिस ने बरामद किया था। पीड़िता पुत्री के मिलने के बाद उसने उसे बताया था कि मम्मी ने जब उसे घर जाने के

लिए नहर के पास छोड़ दिया था तो रास्ते में बारिश होने लगी, तो वह झोपड़ी के अन्दर रूक गयी, तभी वहॉ शिव सिंह की मम्मी व चाची आ गयी, और उन्होंने उससे बाते करते हुए कहा कि उसे उसकी मम्मी बुला रही है और ऑटो में बिठा दिया, रास्ते में गांव का लड़का मंजीत व भीमा ऑटो में बैठ गए, भीमा व मंजीत ने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी, फिर हरियाणा में शिव सिंह के बहनोई के घर होश आया, पुत्री ने उसे यह भी बताया था कि वहॉ पर शिव सिंह ने लगभग दो महीने डरा धमका कर रखा और उसके साथ जबरन बुरा काम किया, बुरा काम का मतलब बलात्कार किया। इस सन्दर्भ में भी इसकी साक्ष्य महत्वपूर्ण है। घटनाओं की श्रृंखला में इस साक्षी को घटना की सूचना घटना के बाद प्राप्त होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे इस साक्षी ने प्रमाणित किया है, जो घटना होने की ओर इंगित करता है।

38. यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–9 को प्रमाणित किया है, जो दर्शित करता है कि यह तहरीर घटना के उपरान्त दर्ज करायी गयी, जो घटना की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अपने आप में साक्ष्य की श्रेणी की है, जो कि प्रमाणित की गयी है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि **बाबले प्रति छत्तीगढ़ राज्य AIR 2012 SC Page 2621** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित हो जाती है और उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती है तथा यह जॉच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सुसंगत परिस्थिति भी होती है। इस साक्षी का घटनास्थल पर उपस्थित न होना ऐसा बिन्दु नहीं है, जो पीड़िता की साक्ष्य, घटना का समय, तिथि व स्थान और पीड़िता व अभियुक्त की एक साथ उपस्थिति, जो कि पीड़िता द्वारा बतायी गयी है, को खण्डित करे।

39. इस साक्षी ने पीड़िता के विलोपित होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पंजीकृत करायी है। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी मामले की पीड़िता है, जिसके साथ घटना घटित हुई है, जिसने अपने बयानों में अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित व स्थापित की है। पीड़िता ने अपने उपरोक्त बयानों में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्संग कारित करने को प्रमाणित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उसकी पुत्री के साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाये गए हैं।

40. बचाव पक्ष द्वारा जहॉ तक इस तर्क का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्संग का कथन नहीं है, केवल बहला फुसलाकर भगा ले जाने का कथन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा लिखकर दी गयी है, जो पीड़ित नहीं है। ऐसे में यह भी सम्भव नहीं है कि अभियोग की सम्पूर्ण विषयवस्तु उसे ज्ञात हो। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सम्पूर्ण अभियोग

कथानक Encyclopedia (विश्वकोश) के रूप में वर्णित हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र दाण्डिक कार्यवाही को प्रचलित करने के उद्देश्य से सूचना मात्र होती है। ऐसी सूचना का परिणाम मात्र सूचना से भिन्न होने के आधार पर, उस रिपोर्ट को मिथ्या और विरोधाभासी नहीं माना जा सकता।

41. पी0डब्लू0–02 के रूप में औपचारिक साक्षी डॉक्टर सीमा गुप्ता परीक्षित हुई हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.11.2019 को वह जिला चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को इस मुकदमे की पीड़िता को समय करीब एक बजे दोपहर महिला कान्सटेबल संगीता द्वारा उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। उसने पीड़िता की पहचान सुनिश्चित करते हुए उसके दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया। पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से मना कर दिया, इसलिए विधि अनुसार उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी की साक्ष्य से पीड़िता के कथन खण्डित नहीं होते हैं।

42. पी0डब्लू0–03 के रूप में औपचारिक साक्षी एच0सी0 198 इन्द्रपाल सिंह परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने कम्प्यूटरीकृत प्रति जी0डी0 प्रदर्श क–3 और चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को प्रमाणित किया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसने औपचारिक कार्यवाहियों और पुलिस प्रपत्रों को प्रमाणित किया है। यह तथ्य का साक्षी नहीं है और न ही घटना का साक्षी है। इस साक्षी की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं होता है, जो कि औपचारिक कार्यवाहियों से पृथक हो।

43. पी0डब्लू0–04 के रूप में औपचारिक साक्षी डॉक्टर मंजू सचान परीक्षित हुई हैं, जिन्होंने पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण को साबित किया है तथा कथन किया है कि दिनांक 28.11.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थी, उक्त दिनांक को समय 11.50 एएम पर महिला कां0 मधु देवी द्वारा इस अभियोग की पीड़िता को उसके समक्ष डाक्टरी हेतु प्रस्तुत किया गया, पीड़िता के साथ उसकी मां फूलश्री आयी थी। कागज सं0 10क/6 पर लिखा कथन ''दिनांक 16.09.2019 की घटना है...........इन्होंने भी धमकाया था। पीड़िता के बोलने पर महिला कां0 के द्वारा लिखा गया था, इस पर पीड़िता के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है। कॉलम सं0 15एफ पीड़िता के बताने के अनुसार भरा गया था, पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, पीड़िता का हाईमन ओल्ड रेप्चर था, उसने पीड़िता को उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास रिफर किया था। पीड़िता की योनि की स्लाइड बनाकर शुक्राणु परीक्षण हेतु पैथोलॉजी भिजवाया था, पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्ट आने के पश्चात उसके द्वारा पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या

तैयार की थी, जो पत्रावली में कागज सं0 11क/1 लगायत 11क/2 के रूप में संलग्न है, उसके हस्तलेख में है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। रेडियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 12 वर्ष थी, बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, कागज सं0 10क/4 लगायत 10क/11 पीड़िता की चिकित्सीय आख्या है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इस साक्षी ने पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–5 व चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–6 को प्रमाणित किया है। पीड़िता ने चिकित्सक के समक्ष बयान दिया है कि शिव सिंह ने उसके साथ हरियाणा में कई बार बलात्कार किया। उक्त बयान को इस साक्षी ने प्रमाणित किया है, जिससे भी बलात्संग की घटना को बल मिलता है।

44. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता सहमति से अभियुक्त के साथ रही और अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ शादी की है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

45. माननीय उच्च न्यायालय, केरल की विधि व्यवस्था KHALEDUR RAHMAN versus STATE OF KERALA, B.A. No. 8216 of 2022; 18th November, 2022, 2022 LiveLaw (Ker) 600 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"17. In accomplishment of the said intent, the POCSO Act has defined the word 'child' in section 2(d) as 'any person below the age of 18 years'. To put at rest any doubts over the applicability of the Act, section 42A has also been incorporated, which reads as below:

"S.42A. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency."

18. The aforesaid section categorically asserts that in the event of any inconsistency with provisions of any other law, the POCSO Act will prevail. Personal Laws and customary laws are both

laws. Section 42A intends to override such laws also. Therefore it cannot be gainsaid that after the coming into force of the POCSO Act, penetrative sexual intercourse with a child, even if it is under the guise of marriage, is an offence.''

46. इस प्रकार धारा 42A के प्रभाव के कारण मात्र विवाह होने से पीड़िता की स्थिति उसके पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत बालक होने से भिन्न नहीं होती और न ही वह सहमति हेतु विधिक रूप से पात्र होती है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है।

47. पी0डब्लू0–07 के रूप में उपनिरीक्षक सुधीर, जो कि प्रकरण के विवेचक हैं, परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने द्वारा इस मामले की विवेचना करना कहा है। इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक–19.09.2019 को इस अभियोग की एफआईआर पंजी कृत होने के पश्चात नकल एफआईआर, नकल रपट उसे विवेचना हेतु प्राप्त हुई। पर्चा नं०–1 में नकल एफआईआर, नकल रपट का अवलोकन किया। बयान कायमी लेखक हेड कॉ० इन्द्रपाल सिंह, एफआईआर कर्ता का० शाहिद हुसैन का बयान अंकित किया। मु०अं०सं०–623/2019 से संबंधित पीड़िता के जन्मतिथि प्रमाण पत्र व चिकित्सीय रिपोर्ट की छायाप्रतियों का अवलोकन किया। पर्चा नं०–2 में बयान वादी अमर सिंह, श्रीमती फूलश्री अंकित किया। वादी व उसकी पत्नी फूलश्री की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जो पत्रावली में 12क/1 के रुप में संलग्न है, जो उसके हस्तलेख में है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। समई साक्षी पूनम, राखी एवं डॉ० जहान सिंह का बयान अंकित किया। पर्चा नं०–4 में वादी अमर सिंह द्वारा यह बताया गया कि उसकी पीड़िता पुत्री को गांव का ही शिव सिंह अपने साथ भगा ले गया है और हरियाणा में किसी जगह उसे रखा है। पर्चा नं०–5 में अभियुक्त शिव सिंह की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी जालौन चौराहे से की गयी। पत्रावली में शामिल कागज सं०–8क/2 फर्द बरामदगी पीड़िता है, जो बरामदगी के समय तैयार किया गया है। इस पर उसके, पीड़िता व अभियुक्त शिव सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 अंकित है। पत्रावली में शामिल कागज सं0–12क/2 नक्शा नजरी बरामदगी व गिरफ्तारी है, जो उसके हस्तलेख में है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी महिला एसआई पूजा द्वारा अंकित कराया गया। बयान का अवलोकन किया। अभियुक्त का बयान अंकित किया। पर्चा न०–6 में पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। पर्चा नं०–7 में बयान परिस्थितजन्य गवाह जयराम व लल्लन सिंह अंकित किया। पर्चा

नं०–8 व 9 में पीड़िता को बयान 164 कराने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया लेकिन बयान अंकित नहीं किये जा सके। पर्चा नं०–12 में पीड़िता का बयान 164 सीआरपीसी अंकित कराया गया, बयान का अवलोकन किया। जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त शिव सिंह द्वारा हरियाणा में दो महीने डरा धमका कर रखने व बलात्कार करने वाली बात बतायी थी, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376 आईपीसी व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। पर्चा नं०–13 में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान गवाह मीरा देवी व मालती देवी अंकित किया। पर्चा नं०–14 में वादी व वादी की पत्नी फूल श्री से मजीद पूछताछ की। बयान साक्षी श्याम सुन्दर, दलवीर, महेश व गौरव अंकित किया। पर्चा नं०–15 में बयान जितेन्द्र, देवी सिंह, रजपाल, मंजू, रामकिशन, विशम्भर, रानी देवी व गोविन्द गुप्ता अंकित किये। पर्चा नं०–16 में बयान कुलदीप, ग्याप्रसाद, संजय, रामजी वर्मा, सुभान सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह व भीम अंकित किये। पर्चा नं०–17 में पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान बरामदगी साक्षी कॉ० अर्जुन सिंह, महिला कॉ० संगीता एवं कॉ० दीपक कुमार अंकित किया। पर्चा नं०–19 में बयान मंजीत अंकित किया। पर्चा नं०–20 में पीड़िता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया। डॉ० सीमा गुप्ता व डॉ० मंजू सचान अंकित किये। पर्चा नं०–22 में अभियुक्त शिव सिंह के विरुद्ध विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं०–671/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में कागज सं०–3क/1 लगायत 3क/3 के रुप में संलग्न है। जिस पर थाने की मुहर लगी है, उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। कागज सं०–16ख/17 सुपुर्दगीनामा है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। कागज सं–16ख/7 गिरफ्तारी जीडी है, जिस पर थाने की मुहर लगी है, उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है और उनके द्वारा की गयी औपचारिक कार्यवाहियों को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं होता है, जो कि औपचारिक कार्यवाहियों से पृथक हो।

48. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 16.09.2019 की बतायी गयी है, किन्तु वादी मुकदमा द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2019 को अर्थात घटना के लगभग तीन दिन बाद विलम्ब से पंजीकृत कराया जाना अभियोजन की मौलिकता के प्रति संदेह उत्पन्न करता है, अभियोजन द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्संग करना प्रमाणित व स्थापित किया है। पी0डब्लू0–06 वादी मुकदमा घटना के उत्तवर्ती क्रम में सूचना देने

और अभियोग पंजीकृत कराने का साक्षी है, जो कि प्रक्रिया की निरन्तरता को स्थापित करता है, उसने अपने बयान में यह कहा है कि पुत्री की तलाश करने पर यह जानकारी हुई कि शिव सिंह की चाची मीरा देवी ने उसकी पीड़िता पुत्री को शिव सिंह के साथ भगाया है, तब उसने एक तहरीर एक व्यक्ति से बोल बोल कर लिखवाकर थाने पर दी थी। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चूँकि मामला पीड़िता के साथ बलात्कार करने व लैंगिक हमला करने का है, जो कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है और ऐसे भारतीय परिवेश में कोई नहीं चाहता कि उसकी समाज में किसी प्रकार की बदनामी का कलंक लगे और हर व्यक्ति की मंशा होती है कि इस प्रकार की घटना का समाज में प्रचार–प्रसार न हो और सामान्यतः लोग ऐसे मामलों में अभियोग पंजीकृत कराने से और उसका प्रकाशन करने से बचते हैं। अतः ऐसे मामलों में प्राथमिकी विलम्ब से लिखायी जाने से अभियोग कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नहीं है।

49. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम अभियुक्त के विरूद्ध यह उपधारणा प्रावधानित करते हैं कि धारा 3, 5, 7, 9 के अपराध करने के लिए अभियोजित करने पर न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है, या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरूद्ध साबित न कर दिया जाए। इसी प्रकार धारा 30 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त की आपराधिक, मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा की जायेगी, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उसकी मानसिक दशा अपराध कारित करने की नहीं थी। आपराधिक मनोदशा का तात्पर्य अपराध का हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास किए जाने का कारण भी है।

50. प्रकरण में पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अयुक्त सम्भोग करना व बलात्संग करना प्रमाणित किया है। उसका यह कृत्य धारा 29 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा को उत्पन्न करता है, साथ ही धारा 30 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत उसकी आपराधिक मनोदशा को भी दर्शित करता है। पीड़िता धारा 2(घ) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालक की श्रेणी में है। अतः धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध उत्पन्न होती है, जिसका मोचन करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है, जबकि अभियोजन द्वारा अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम के सिद्धभार का मोचन नहीं होता।

51. अभियुक्त शिव सिंह के द्वारा पीड़िता के साथ अयुक्त सम्भोग करना, विवाह करना और ऐसा सम्भोग बलात्संग की श्रेणी में होना अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। धारा 3 पॉक्सो अधिनियम प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बालक योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करना या किसी अन्य के द्वारा ऐसा करवाना सम्मिलित है, यहॉ तक कि इसमें किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या करवाता है, भी सम्मिलित है। इसमें बालक के शरीर के किसी भाग के साथ अभिचालन जिससे बालक के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश हो, भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह भी उपबंधित है कि बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाना या लगवाना भी प्रवेशन लैंगिक हमला है।

52. प्रकरण में पीड़िता की आयु 12 वर्ष 22 दिन घटना की दिनांक 16.09.2019 को होना पायी गई है और प्रमाणित है। अतः पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की है। पीड़िता बालक की श्रेणी में है, उसके साथ अभियुक्त शिव सिंह द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना प्रमाणित किया गया है। यह घटना दिनांक 16.09.2019 की होना कही गयी है। दिनांक 21.04.2018 को अधिनियम सं0 22 सन 2018 से धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्विष्ट की गयी है, जो प्रावधानित करती है कि– **"जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगाः**

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन आरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायेगा।"

53. प्रकरण में पीड़िता की आयु घटना की तिथि को 16 वर्ष से कम रही है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की अर्थात पॉक्सो अधिनियम में संशोधन दिनांकित 16.08.2019 से बाद की है। अतः धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम इस मामले में प्रभावी है।

54. पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य व सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिव सिंह द्वारा पीड़िता से अयुक्त सम्भोग व बलात्संग कर उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, जो कि धारा 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2)

पॉक्सो अधिनियम के अपराध को पुष्ट करता है, किन्तु अभियोजन साक्ष्य से उसका व्यपहरण होना प्रमाणित व स्थापित नहीं होता है।

55. उपरोक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण से अभियुक्त शिव सिंह धारा 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है तथा धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

56. अभियुक्त शिव सिंह को धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

57. अभियुक्त शिव सिंह को धारा 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

58. अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

59. पत्रावली अभियुक्त के दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच बाद पेश हो।

<u>दिनांक–25.08.2026</u>

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

60. पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

61. दण्ड के बिन्दु पर विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा नाबालिग के साथ बलात्संग कर गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। मामले की पीड़िता घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की रही है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए।

62. बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि, दोषसिद्ध अभियुक्त 26 वर्षीय व्यक्ति है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने पीड़िता से शादी कर ली है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दोषसिद्ध अभियुक्त के कारागार में निरूद्ध रहने ने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गई।

63. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

64. प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त सम्भोग करना और ऐसा सम्भोग बलात्संग की श्रेणी में होना अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। धारा 3 पॉक्सो अधिनियम प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बालक योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करना या किसी अन्य के द्वारा ऐसा करवाना सम्मिलित है, यहॉ तक कि किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या करवाता है, भी सम्मिलित है। इसमें बालक के शरीर के किसी भाग के साथ अभिचालन जिससे बालक के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश हो, भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह भी उपबंधित है कि बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाना या लगवाना भी प्रवेशन लैंगिक हमला है। प्रकरण में अभियुक्त नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्संग कारित किए जाने का दोषी पाया गया है।

65. दण्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णयज विधि महत्वपूर्ण है–

Jameel Vs. State of U.P." reported in MANU/SC/1800/2009: (2010) 12 SCC 532, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि–

"In operating the sentencing system, law should adopt the corrective machinery or deterrence based on factual matrix. By deft modulation, sentencing process be stern where it should be, and tempered with mercy where it warrants to be. The facts and given circumstances in each case, the nature of the crime, the manner in which it was planned and committed, the motive for commission of the crime, the conduct of the accused, the nature of weapons used and all other attending circumstances are relevant facts which would enter into the area of consideration.

16. It is the duty of every court to award proper sentence having regard to the nature of the offence and the manner in which it was executed or

committed. The sentencing courts are expected to consider all relevant facts and circumstances bearing on the question of sentence and proceed to impose a sentence commensurate with the gravity of the offence."

66. यह घटना दिनांक 16.09.2019 की होना कही गयी है। दिनांक 21.04.2018 को अधिनियम सं0 22 सन 2018 से धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्विष्ट की गयी है, जो प्रावधानित करती है कि– ''**जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगाः**

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सीया व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन आरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायेगा।''

67. प्रकरण में पीड़िता की आयु घटना की तिथि 16.09.2019 को उसकी जन्मतिथि 25.08.2007 के अनुसार 12 वर्ष 22 दिन थी। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जाना उचित होगा। यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की अर्थात पॉक्सो अधिनियम में संशोधन दिनांकित 16.08.2019 से बाद की है। अतः अभियुक्त को धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाना उचित होगा।

68. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पॉक्सो एक्ट की धारा–42 (आनुकल्पिक दण्ड) में यह प्रावधान किया गया है कि– जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ख के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है, वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

69. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) में प्रावधान किया गया है कि, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसी प्रकार लैंगिक

अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4(2) (दिनांक 16.08.2019 से बाद) में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अपराधों में समान दण्ड की व्यवस्था है। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम में समान रूप से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। बचाव पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। अतः उपरोक्त विधिक स्थिति में अभियुक्त धारा 42 पॉक्सो अधिनियम के प्रभाव के कारण 20 वर्ष के सश्रम कारावास से व अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है।

70. अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध अभियुक्त शिव सिंह को अग्रलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा–

आदेश

71. दोषसिद्ध अभियुक्त शिव सिंह को धारा 376(3) भा0दं0सं0 सपठित धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 20 वर्ष (बीस वर्ष) के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा छः महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा।

72. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम को छोड़कर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध में बिताई गयी जेल की अवधि को उक्त दण्ड में समायोजित किया जाता है।

73. प्रस्तुत मामले में जमा करायी गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए दी जायेगी।

74. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा अभियुक्त का तद्नुसार दण्ड भोगने हेतु अधिपत्र कारागार प्रेषित हो।

दिनांक–25.08.2026

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–25.08.2026

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

नोटः– इस निर्णय में अपहृता / पीड़िता के नाम को गोपनीय रखा गया है और सम्पूर्ण निर्णय में उसे ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया गया है।